रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2014/भाद्र 3, 1936
No. 250] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2014/BHADRA 3, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 25 अगस्त, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014

सं.एल.ए.डी/एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, —

(i) विनियम 26 में, उप-विनियम (6) में, —

क. दूसरे परंतुक में, शब्दों "धारण करने की अपेक्षा" के पश्चात् और चिह्न ":" से पूर्व, शब्द "लागू नहीं होगी" अंत:स्थापित किये जायेंगे ;

ख. दूसरे परंतुक के खंड (क) में, शब्दों "लागू नहीं होगी" का लोप हो जायेगा ;

ग. दूसरे परंतुक के खंड (ख) में, चिह्न "।",चिह्न ";" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

घ. दूसरे परंतुक के खंड (ख) के पश्चात्, नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) यदि विक्रय के लिए प्रस्तावित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किये जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व की अवधि हेतु धारित प्रतिभूतियों के संबंध में बोनस निर्गम के अधीन निर्गमित की गयी थीं,और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित के अध्यधीन, -

(i) जिस वित्तीय वर्ष में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज बोर्ड के पास दाखिल किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखा बहियों में विद्यमान खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्वस्) और शेयर प्रीमियम में से ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ निर्गमित की जा रही हों; और

(ii) ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ निर्गमकर्ता की पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों या अप्राप्त लाभों का उपयोग करके निर्गमित न की जा रही हों ।"

(ii) विनियम 41 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :-

"जनता को न्यूनतम शुद्ध प्रस्ताव

41.जनता को न्यूनतम शुद्ध प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन होगा।"

(iii) विनियम 43 में, उप-विनियम (3) में, शब्द "तीस",शब्द "साठ" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ।

(iv) विनियम 71 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"बारंबार व्यापारित शेयर

71क. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, "बारंबार व्यापारित शेयर" से निर्गमकर्ता के वे शेयर अभिप्रेत हैं, जिनमें व्यापारित व्यापारावर्त, सुसंगत तारीख से पूर्ववर्ती बारह कलैंडर महीनों के दौरान किसी स्टॉक एक्सचेंज में, निर्गमकर्ता के शेयरों के ऐसे वर्ग के शेयरों की कुल संख्या का कम से कम दस प्रतिशत है :

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता के शेयरों के विशिष्ट वर्ग की शेयर पूँजी ऐसी पूरी अवधि के दौरान समरूप न हो, तो वहाँ निर्गमकर्ता के ऐसे वर्ग के कुल शेयरों की भारित औसत संख्या(वेटेड एवरेज नंबर) शेयरों की कुल संख्या को व्यक्त करेगी।"

(v) विनियम 76 में, -

क. विनियम के शीर्षक में, शब्दों "इक्विटी शेयरों का कीमत-निर्धारण" के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न "- बारंबार व्यापारित शेयर" अंत:स्थापित किये जायेंगे ;

ख. शब्द"अंतिम कीमतों" जहाँ कहीं भी वे आते हों, शब्दों "मात्रा भारित औसत कीमत(वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस)" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ।

(vi) विनियम 76 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"इक्विटी शेयरों का कीमत-निर्धारण- बारंबार व्यापारित न होने वाले शेयर

76क. जहाँ शेयर बारंबार व्यापारित नहीं होते हैं, तो वहाँनिर्गमकर्ता द्वारा अवधारित कीमत के संबंध में मूल्यांकन मानदंडों पर विचार किया जायेगा, जिनमें बही मूल्य (बुक वैल्यू),तुलनीय ट्रेडिंग मल्टीपल्स, और ऐसे अन्य मानदंड सम्मिलित हैं जो ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्याँकन के लिए प्रचलित हों :

परंतु यह कि निर्गमकर्ता स्टॉक एक्सचेंज को, जहाँ निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों,स्वतंत्र मर्चेंट बैंककार या व्यवसाय में लगे हुए स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट जिसका दस वर्षों का न्यूनतम अनुभव हो, से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र, जिसके अंतर्गत यह कथन हो कि निर्गमकर्ता ने इस विनियम का अनुपालन किया है, प्रस्तुत करेगा ।

कीमत-निर्धारण में समायोजन – बारंबार व्यापारित शेयर या बारंबार व्यापारित न होने वाले शेयर

76ख. विनियम 76 या विनियम 76क के अनुसार अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के लिए अवधारित की गयी कीमत, समुचित समायोजनों के अध्यधीन होगी, यदि निर्गमकर्ता :

(क) लाभों या आरक्षितियों (रिज़र्वस्) के पूँजीकरण के रूप में इक्विटी शेयरों का निर्गम लाता है, शेयरों पर लाभांश के रूप में न लाकर ;

(ख) इक्विटी शेयरों का साधिकार निर्गम लाता है ;

(ग) अपने बकाया इक्विटी शेयरों को थोड़ी संख्या के शेयरों में समेकित करता है ;

(घ) अपने बकाया इक्विटी शेयरों को विभाजित करता है, जिसमें स्टॉक विभाजन (स्प्लिट) के रूप में विभाजन सम्मिलित है ;

(ङ) अपने इक्विटी शेयरों में से किसी को निर्गमकर्ता की अन्य प्रतिभूतियों में पुन: वर्गीकृत करता है ;

(च) ऐसी अन्य वैसी ही घटनाओं या परिस्थितयों में अंतर्ग्रस्त है, जो संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज की राय में, समायोजनों की अपेक्षा करती हैं ।"

(vii) अनुसूची XI में,–

क. भाग क में, पैरा (10) में, उप-पैरा (ग) में, शब्द "तीस" के लिए, शब्द "साठ" प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

ख. भाग ग में, एंकर विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से भिन्न अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को आबंटन से संबंधित उदाहरण, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :-

"एंकर विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से भिन्न अर्हित संस्थागत क्रेताओं को आबंटन से संबंधित उदाहरण

(1) **निर्गम के ब्यौरे**

क्रम सं.	**विवरण**	**निर्गम संबंधी ब्यौरे**
1	निर्गम का आकार	200 करोड़ इक्विटी शेयर
2	अर्हित संस्थागत क्रेताओं के लिए उपलब्ध हिस्सा*	100 करोड़ इक्विटी शेयर
3	एंकर विनिधानकर्ता (निवेशक) का हिस्सा	60 करोड़ इक्विटी शेयर
	जिसमें से	
क.	पारस्परिक निधि को आरक्षण (एक-तिहाई)	20 करोड़ इक्विटी शेयर
ख.	सभी अर्हित संस्थागत क्रेताओं, जिनमें पारस्परिक निधियाँ सम्मिलित हैं, के लिए शेष	40 करोड़ इक्विटी शेयर
4	एंकर विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से भिन्न अर्हित संस्थागत क्रेताओं के लिए उपलब्ध हिस्सा*[(2)-(3)]	40 करोड़ इक्विटी शेयर
	जिसमें से	
क.	पारस्परिक निधि को आरक्षण (5%)	2 करोड़ इक्विटी शेयर
ख.	सभी अर्हित संस्थागत क्रेताओं, जिनमें पारस्परिक निधियाँ सम्मिलित हैं, के लिए शेष	38 करोड़ इक्विटी शेयर
5	अर्हित संस्थागत क्रेता आवेदकों की संख्या	10
6	उन शेयरों की संख्या, जिनके लिए आवेदन किया गया	500 करोड़ इक्विटी शेयर

*जहाँ निर्गम के आकार के 50% का आबंटन अर्हित संस्थागत क्रेताओं को किया जाना अपेक्षित हो ।

(2) **अर्हित संस्थागत क्रेता बोलियों के ब्यौरे**

क्रम सं.	**अर्हित संस्थागत क्रेता बोलीदाताओं (बोली लगाने वालों) का प्रकार**	**शेयरों की संख्या जिनके लिए बोली लगायी गयी(करोड़ में)**
1	ए1	50
2	ए2	20
3	ए3	130
4	ए4	50
5	ए5	50
6	एमएफ1	40
7	एमएफ2	40
8	एमएफ3	80
9	एमएफ4	20
10	एमएफ5	20
	कुल	**500**

ए1-ए5 [पारस्परिक निधियों से इतर अर्हित संस्थागत क्रेता बोलीदाता(बोली लगाने वाले)]

एमएफ 1-एमएफ 5 [अर्हित संस्थागत क्रेता बोलीदाता (बोली लगाने वाले)जो पारस्परिक निधियाँ हैं]

(3) **अर्हित संस्थागत क्रेता बोलीदाताओं(बोली लगाने वालों)/ आवेदकों को आबंटन के ब्यौरे**

(इक्विटी शेयरों की संख्या करोड़ में)

अर्हित संस्थागत क्रेता बोलीदाताओं (बोली लगाने वालों) का प्रकार	**इक्विटी शेयर जिनके लिए बोली लगायी गयी**	**पारस्परिक निधियों को आनुपातिक रूप में 2 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन (टिप्पणी 2 देखें)**	**अर्हित संस्थागत क्रेताओं को आनुपातिक रूप में शेष 38 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन (टिप्पणी 4 देखें)**	**पारस्परिक निधियों को सकल आबंटन**
ए1	50	0	3.82	3.82
ए2	20	0	1.53	1.53
ए3	130	0	9.92	9.92
ए4	50	0	3.82	3.82
ए5	50	0	3.82	3.82
एमएफ1	40	0.4	3.02	3.42
एमएफ2	40	0.4	3.02	3.42

एमएफ3	80	0.8	6.04	6.84
एमएफ4	20	0.2	1.51	1.71
एमएफ5	20	0.2	1.51	1.71
	500	**2**	**38**	**40.00**

टिप्पणियाँ :

(1) इस उदाहरण में यह माना गया है कि न्यूनतम आबंटन से संबंधित विनियम 50(1) के उपबंधों के अनुपालन किया गया है ।

(2) अर्हित संस्थागत क्रेताओं को आबंटित 40 करोड़ इक्विटी शेयरों में से, 2 करोड़ शेयरों(अर्थात् 5%) का आबंटन आनुपातिक आधार पर उन 5 पारस्परिक निधि आवेदकों के बीच किया जायेगा जिन्होंने अर्हित संस्थागत क्रेता प्रवर्ग के अंतर्गत 200 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया ।

(3) शेष 38 करोड़ इक्विटी शेयरों [अर्थात् 40-2 (पारस्परिक निधियों के लिए उपलब्ध)] का आबंटन आनुपातिक आधार पर उन 10 अर्हित संस्थागत क्रेता आवेदकों के बीच किया जायेगा जिन्होंने 500 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया (जिनमें वे 5 पारस्परिक निधि आवेदक सम्मिलित हैं जिन्होंने 200 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया) ।

(4) स्तंभ सं. IV के आँकड़े निम्नानुसार प्राप्त किये गये हैं :

क. पारस्परिक निधियों से इतर अर्हित संस्थागत क्रेताओं के लिए (ए 1 से ए 5) = बोली लगाये गये शेयरों की सं. (अर्थात् स्तंभ II) X 38 / 498

ख. पारस्परिक निधियों के लिए (एमएफ1 से एमएफ5) = {(बोली लगाये गये शेयरों की संख्या(अर्थात् स्तंभ II) में से आबंटित शेयरों की संख्या(अर्थात् स्तंभ III) घटायें} X 38 / 498

ग. अंश (न्यूमरेटर) और हर (डिनॉमिनेटर) में से 2 करोड़ शेयर घटा दिये गये हैं, 10 अर्हित संस्थागत क्रेताओं को 38 करोड़ शेयरों के आबंटन का निर्धारण करने के लिए,जो स्तंभ सं. (III) में पारस्परिक निधियों को पहले ही से आबंटित किये जा चुके हैं ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन-3/4/असा./69 ZB/14]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलए डी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-

(क) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा

(ख) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा

(ग) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा

(घ) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा

(ङ) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा

(च) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा

(छ) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा

(ज) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/25/30309, द्वारा

(झ) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/2499, द्वारा

(ञ) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186, द्वारा

(ट) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा

(ठ) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा

(ड) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/18/5391, द्वारा

(ढ) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा

(ण) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/2013-2014/19/6422, द्वारा

(त) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

(थ) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्ट फोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12,द्वारा

(द) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th August, 2014

(SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA)

(ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS)

(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2014

No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, –

(i) in regulation 26, sub-regulation (6),-

A. in clause (b) of second proviso, the symbol "." shall be substituted with symbol ";";

B. after clause (b) of second proviso, a new clause shall be inserted, namely:-

"(c) if the specified securities offered for sale were issued under a bonus issue on securities held for a period of at least one year prior to the filing of draft offer document with the Board and further subject to the following,-

(i) such specified securities being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with the Board ; and

(ii) such specified securities not being issued by utilization of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer. "

(ii) for regulation 41, the following shall be substituted, namely:-

"**Minimum net offer to public.**
41. The minimum net offer to the public shall be subject to the provisions of clause (b) of sub-rule (2) of rule 19 of Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957."

(iii) in regulation 43, in sub-regulation (3), the word "thirty" shall be substituted with the word "sixty".

(iv) after regulation 71, the following new regulation shall be inserted, namely:-

"**Frequently traded shares.**

71A. For the purpose of this Chapter, "frequently traded shares" means shares of an issuer, in which the traded turnover on any stock exchange during the twelve calendar months preceding the relevant date, is at least ten per cent of the total number of shares of such class of shares of the issuer:

Provided that where the share capital of a particular class of shares of the issuer is not identical through out such period, the weighted average number of total shares of such class of the issuer shall represent the total number of shares. "

(v) in regulation 76,-

A. in the title of the regulation, the words and symbol" - Frequently traded shares" shall be inserted after the words "Pricing of equity shares" ;

B. the words "closing prices" wherever occurring, shall be substituted with the words "volume weighted average price".

(vi) after regulation 76, the following regulations shall be inserted, namely:-

" **Pricing of equity shares – Infrequently traded shares.**

76A. Where the shares are not frequently traded, the price determined by the issuer shall take into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies:

Provided that the issuer shall submit a certificate stating that the issuer is in compliance of this regulation, obtained from an independent merchant banker or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years, to the stock exchange where the equity shares of the issuer are listed.

Adjustments in pricing - Frequently or Infrequently traded shares

76B. The price determined for preferential issue in accordance with regulation 76 or regulation 76A, shall be subject to appropriate adjustments, if the issuer :

(a) makes an issue of equity shares by way of capitalization of profits or reserves, other than by way of a dividend on shares;

(b) makes a rights issue of equity shares;

(c) consolidates its outstanding equity shares into a smaller number of shares;

(d) divides its outstanding equity shares including by way of stock split;

(e) re-classifies any of its equity shares into other securities of the issuer;

(f) is involved in such other similar events or circumstances, which in the opinion of the concerned stock exchange, requires adjustments."

(vii) in Schedule XI-

A. in Part A, in para (10),in sub-para(c), for the word "thirty" the word "sixty" shall be substituted;

B. in part C, the illustration regarding allotment to qualified institutional buyers other than anchor investors, shall be substituted with the following, namely:-

" ILLUSTRATION REGARDING ALLOTMENT TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OTHER THAN ANCHOR INVESTORS

(1) **Issue Details**

Sr. No.	Particulars	Issue details
1	Issue size	200 crore equity shares
2	Portion available to QIBs*	100 crore equity shares

3	Anchor Investor Portion	60 crore equity shares
	Of which	
a.	Reservation to MF (1/3rd)	20 crore equity shares
b.	Balance for all QIBs including MFs	40 crore equity shares
4	Portion available to QIBs* other than anchor investors [(2) – (3)]	40 crore equity shares
	Of which	
a.	Reservation to MF (5%)	2 crore equity shares
b.	Balance for all QIBs including MFs	38 crore equity shares
5	No. of QIB applicants	10
6	No. of shares applied for	500 crore equity shares

* Where 50% of the issue size is required to be allotted to QIBs.

(2) **Details of QIB Bids**

• **S. No.**	• **Type of QIB bidders**	• **No. of shares bid for (in crores)**
• 1	• A1	• 50
• 2	• A2	• 20
• 3	• A3	• 130
• 4	• A4	• 50
• 5	• A5	• 50
• 6	• MF1	• 40
• 7	• MF2	• 40
• 8	• MF3	• 80
• 9	• MF4	• 20
• 10	• MF5	• 20
•	• **TOTAL**	• **500**

A1-A5 (QIB bidders other than MFs)

MF1-MF5 (QIB bidders which are MFs)

(3) **Details of Allotment to QIB Bidders/Applicants**

(No. of equity shares in crores)

Type of QIB bidders	**Equity shares bid for**	**Allocation of 2 crores equity shares to MFs proportionately (See Note 2)**	**Allocation of balance 38 crores equity shares to QIBs proportionately (See Note 4)**	**Aggregate allocation to MFs**
A1	50	0	3.82	3.82
A2	20	0	1.53	1.53
A3	130	0	9.92	9.92

A4	50	0	3.82	3.82
A5	50	0	3.82	3.82
MF1	40	0.4	3.02	3.42
MF2	40	0.4	3.02	3.42
MF3	80	0.8	6.04	6.84
MF4	20	0.2	1.51	1.71
MF5	20	0.2	1.51	1.71
	500	**2**	**38**	**40.00**

Notes:

(1) The illustration presumes compliance with the provisions of regulation 50(1) pertaining to minimum allotment.

(2) Out of 40 crore equity shares allocated to QIBs, 2 crore shares (i.e. 5%) will be allocated on proportionate basis among 5 mutual fund applicants who applied for 200 crore shares in QIB category.

(3) The balance 38 crore equity shares [i.e. 40 – 2(available for MFs)] will be allocated on proportionate basis among 10 QIB applicants who applied for 500 crore shares (including 5 MF applicants who applied for 200 crore shares).

(4) The figures at Col. No. IV are arrived as under :

a. For QIBs other than mutual funds (A1 to A5) = No. of shares bid for (i.e Col II) X 38 / 498

b. For mutual funds (MF1 to MF5) = {(No. of shares bid for (i.e Col. II) less No. of shares allotted (i.e., col. III)} X 38/498

c. The numerator and denominator for arriving at allocation of 38 crore shares to the 10 QIBs are reduced by 2 crore shares, which have already been allotted to mutual funds at Col. No. (III)."

U. K. SINHA Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69ZB/14]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.

2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-

(a) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-10/23/186926.

(b) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-2010/25/189240.

(c) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2009-10/26/190146.

(d) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.

(e) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2010-11/19/26456.

(f) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.

(g) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.

(h) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 *vide* F. No. LADNRO/GN/2011-12/25/30309.

(i) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.

(j) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LADNRO/GN/2011-12/35/3186.

(k) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds)Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

(l) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.

(m) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.

(n) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.

(o) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 *vide* No.LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.

(p) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

(q) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.

(r) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.